12.42 hrs.

POINT OF PERSONAL EXPLANATION

Mr. Speaker: Mr. S. K. Patil.

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : आप ने जो श्री एस० के० पाटिल को बुलाया है, उसके बारे में मेरा पायंट आफ़ आर्डर है। पर्सनल ए.सप्लेनेशन के बारे में रूल 357 कहता है :

> "A member may, with the permission of the Speaker, make a personal explanation although there is no question before the House, but in this case no debatable matter may be brought forward, and no debate shall arise."

मेरी अर्ज़ यह है कि मन्त्री महोदय के स्टेटमेंट में कोई डीबेटेबल मैंटर नहीं होना चाहिए। अगर होगा, तो हम को भी अधिकार होगा कि हम उसका जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे वह स्टेटमेंट सुनने दीजिए।

श्री बागड़ी (हिसार): आप उन को सुन लीजिए, लेकिन बाद में हमारी बात भी सुन लीजिए।

The Minister of Railways (Shri S. K. Patil): I find in a section of the Press today an observation attributed to an hon. Member of this House, Dr. Lohia, alleging that I was implicated in cheating of several lakhs of rupees by a shipping company. According to the same Press report, this alleged cheating took place in 1961-

If I were present in the House I could have contradicted this statement on the spot but unfortunately I was not there. I am told that the Deputy Minister for Home Affairs who was in the House raised a point of order that such an accusation could not be made against the Minister in his absence and without first informing him and the Speaker about it. I am told the Chairman who was presiding did not accept the point of order. In any event, I want to make it abundantly clear that the accusation made by Dr. Lohia is absolutely false and baseless. I had nothing to do with the alleged incident mentioned by him.

Shri Sham Lal Saraf (Jammu and Kashmir): The hon. Minister is not correctly reported. I wish he had gone through the proceedings of yesterday before making his statement.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): May I make a submission about what the chairman had said?

Mr. Speaker: There is no need for it now. He has already explained it.

डा० राम मनोहर लोहिया (फ़र्रुख़ाबाद) अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने नियम के खिलाफ़ जा कर सिर्फ़ विवादास्पद बात ही नहीं उठाई है, बल्कि उन्होंने यह भी कह दिया कि जो कुछ मैंने कहा था वह झूठ था। तो मैं यहां पर आप की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी साफ झूठ बोले हैं, क्योंकि कल मैंने अपने भाषण में न सिर्फ़ यह कहा था कि क्या चीजें चोरी हुई हैं, बल्कि साल, दिन और जहाज के नाम भी दिये थे।

श्री बागड़ी : चोरी और सीनाजोरी।

अध्यक्ष महोदय : मैं हाउस की रजामन्दी चाहूंगा कि मैं मेम्बर साहब को काल अपान करूं कि उन के पास इस बारे में जो सबूत हैं, वह मुझे दें।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं उस को कल यहां इस सदन में रख चुका हूं। अब दोबारा आप को देने की क्या जरूरत है। मैं आप को खाली एक जहाज का नाम बताये देता हूं। "आकाश" नाम का एक जहाज 7-6-62 को.

अध्यक्ष महोदय : मैं जहाज के नाम नहीं सुनाना चाहता हूं। मैं ने कहा है कि आप के पास जो सबूत हैं, वह मुझे दीजिये। —

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, आप क्या कह रहे हैं ? आप जो कुछ भी कहें, तसल्ली के साथ कहें।

अध्यक्ष महोदय : जो कानून और रूल के मुताबिक है, वही मैं कह रहा हूं । कल आप ने इल्जाम लगाया । मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वह गलत और झूठ है । आप कहते हैं कि आप ने इस बारे में तफ़सील दी है । आप के पास जो सबूत है, वह मेरे पास भेजिए । अगर इस के लिए कोई कमेटी मुकर्रर करनी होगी, तो मैं उस को मुकर्रर करूंगा ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, आप ने मंत्री महोदय को बोलने का मौका दे कर पक्षपातपूर्ण कार्य किया है और वह नियमों के विपरीत है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सबूत भेज दें । अगर इस बारे में कमेटी मुकर्रर करनी होगी, तो मैं इस को मुकर्रर करूंगा ।

Shri S. M. Banerjee: Let there be an investigation by the CBI.

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): This is a very extraordinary situation there you have permitted Shri S. K. Patil to contradict something that has been stated by Dr. Ram Manohar Lohia without his having placed before you all the documents to prove that what he has said is true. Without such documents you never allow us to contradict. If we want to make a personal explanation or if we want to contradict something that has been stated on that side of the House, you ask us to produce the documents. But now you have allowed him to do so . . .

Mr. Speaker: That is wrong. Always, when something has been said against a Member, he has been given an opportunity to give a personal explanation. That has always been done.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) मुझे आप ने कहां मौका दिया है ? मुझे मौका नहीं दिया है ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : दिया है ।

श्री मधु लिमये : मनुभाई शाह और शचिन्द्र चौधरी के मामले में मुझे आज तक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की इजाजत नहीं मिली है । क्या पाटिल साहब "सुपर-मेम्बर" हो गये हैं ? इस बारे में मेरा पायंट आफ़ आर्डर है ।

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta Central): On a point of propriety. You may hear these accusations, but it is no pleasure for us to listen to these accusations whether they are against Members on that side of the House or on this side of the House. What happens when it is contradicted only in the House? The statements are left hanging in mid-air, so to speak, and I cannot choose between the two statements. I have noticed repeatedly Ministers contradicting such allegations but never challenging the Member to repeat it outside so that he could . .

Shri S. K. Patil: I challenge Dr. Ram Manohar Lohia to repeat it outside. (*Interruptions*).

श्री मधु लिमये : यह एक नम्बर का डरपोक आदमी है । यह क्या बाहर लड़ेगा ?

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, आज ही सदन के बाहर एक सभा हो जाए, जिस में मैं अपनी बात कहूंगा ।

श्री राधेलाल व्यास : यह बाजार नहीं है, यह लोक सभा है ।

Shri H. N. Mukerjee: . .These Ministers have got to have the guts. The Minister of Defence some time back was told that he had taken Rs. 6 lakhs. and he came here and said that he did not take Rs. 6 lakhs. He should have taken other steps open to a Member of Parliament in order to have that kind of purge. But they do not do it. I want to know. (*Interruptions*). Let me say this. I want to defend the honour of every Member of this House. (*Interruptions*). I would not like to be a Member of a House where with regard to a fellow-Member I have to carry a suspicion larking, an uncleared suspicion. I want every Member of this House,

whether on this side or on the other, to be cleared of these allegations, if made against him. But every time these allegations are made, only a parliamentary statement, covered by privileges, is made on either side. I cannot make up my mind. I refuse to be a member of a House in which such allegations are made against Members who do not have the courage to repudiate, and have not repudiated these things in the proper way. Till that is done, I feel it is a shame to be a Member of the House. It is the duty of every Member of the House against whom such allegations are made to clear them so that we do not have to face this sort of predicament way now and then here.

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, आप मुझ को बोलने नहीं दे रहे हैं यह क्या मामला है ? अभी यह चुनौती दी बाहर कहने के लिये । मैं आज शाम को जहां कहीं आप या पाटिल साहब कहें दिल्ली की किसी आम सभा में इस से बढ़कर के इन के खिलाफ़ चोरी की बात कहने के लिए तैय्यार हूं एक बात, । और दूसरी बात आप मेहरबानी करके सुनिये, मैंने कल नाम यहां पर लिए थे . . . . . (**व्यवधान**) अध्यक्ष महोदय, मैंने कल कई जहाज के नाम लिए थे . . . . (**व्यवधान**) 156 टन की चोरी हुई है . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं उन को भी इजाजत देता कि वह एक एक नाम लेकर कहें तो फ़िर आप कहते कि कंट्रोवर्शियल मैटर्स ला रहे हैं——(**व्यवधान**)

Shri S. K. Patil: I have every right to say what I have said . . (*Interruptions*).

डा० राम मनोहर लोहिया : यह मुझ को झूठ कहता है । सारी जिन्दगी ऐश आराम में बिताता रहा है और मुझको झूठ कहता है . . . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय अगर एक मेम्बर दूसरे के बरखिलाफ़ . . . . (**व्यवधान**)

डा० राम मनोहर लोहिया : इस को शर्म नहीं लगी कहते हुए ** . . . . (व्यवधान) . . . . . .**

Mr. Speaker: This will not be recorded. I have also to see what other portions I have to expunge.

Shri R. S. Pandey (Guna): On a point of order.

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): I think it is a good thing that Shri Patil has said that all the allegations are false.

Shri S. K. Patil: Not all—whatever has appeared in the press.

Shri Surendranath Dwivedy: Dr. Lohia still maintains that he has in his possession facts to prove that what he has said is right and correct. Therefore, as you have already said that the documents would be given to you, I think at the fag-end of this session it is proper that you appoint a Committee. Let them go into all these matters and let us know what has happened.

Shri R. S. Pandey: On a point of order.

श्री मधु लिमये : प्वाइंट आफ़ आर्डर पर एक अरसे से उठा रहा हूं । यह बीच में कहां से आ गए ?

Shri S. K. Patil: Suggestions have been made that if the accusation was repeated outside, I should go to a court of law and have the remedy. I wrote to you this morning that if this was not said in this House but elsewhere, I would have gone straight to the court for remedy. Because it was said in the House, I had no other remedy but to come to this House, this august House. So I wrote to you in advance and informed you about my stand regarding whatever has appeared in the Press. I am only saying that whatever has appeared in the press is false, baseless, unfounded, malicious and every other word that can be said about it in that vain.

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए। (**व्यवधान**) बागड़ी साहब, मैं और आप

**Not recorded.

[अध्यक्ष महोदय]

दोनों इकट्ठे कैसे होंगे ? . . . . (व्यवधान) इस के सिवाये प्रोसीजर तो यही हो सकता सकता है कि अगर एक मेम्बर एक्यूज करता है दूसरे मेम्बर को तो उसको परसनल एक्स-प्लेशन की इजाजत होनी चाहिये. . . .

श्री मधु लिमये : क्या सफ़ाई दी उन्हों ने? कोई सफ़ाई नहीं है उन की। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो मेम्बर ऐक्यूजेशन लगाता है तो या तो वह बाहर लगाये तो दूसरे मेम्बर के लिए यह रेमेडी है कि वह कोर्ट में जा सकता है. . . . . .

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं बाहर भी लगा चुका हूं. . . . (व्यवधान)

श्री मौर्य : चौपाटी पर मैंने कहा है कि यह चोर हैं. . . . . (व्यवधान)

डा० राम मनोहर लोहिया : कई बार मैं ने कहा है। आज शाम को भी बाहर कहने को तैयार हूं। मैं ने कई बार बाहर कहा है. . (व्यवधान)

Shri Surendranath Dwivedy: That is a different matter, whether they make the accusation outside. It has been made here and to go into that I want a Committee to be appointed.

Mr. Speaker: I am coming to that.

Shri R. S. Pandey: On a point of order.

श्री मधु लिमये अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ़ आर्डर मेरा है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कह तो लेने दीजिए। बड़ी अजीब बात है. . . . (व्यवधान) ठहरिये, मैं उन को भी कह रहा हू। मैं सुन लूंगा। पहले जो मैं कह रहा हूं वह तो सुनिए, इस में सिर्फ़ यही हो सकता है न, जो बाहर लगायें उससे तो मेरा संबंध नहीं है। अपने आप मेम्बर ऐक्शन लेगा। अन्दर जो लगाया गया तो उन्होंने मुझे लिखा परसनल ऐक्सप्लेशन देने के लिए लिखा, मैं ने परसनल एक्सप्लेनेशन देने की इजाजत दी। उन्होंने कहा कि वह फाल्स है। अब उन्होंने कहा लोहिया साहब ने कि मेरे पास इस का सुबूत है. . . . .

डा० राम मनोहर लोहिया सबूत मैं दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा अगर आप दे चुके हैं तो और भी आप के पास हो तो वह भी आप भेज दें. . . . . . (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : परसनल एक्सप्लेनेशन देने के लिए इजाजत देने से पहले आपने पढ़ा था उसको ? मंत्री महोदय ने आप को लिखा तो आप ने इजाजत दे दी और मेरा आपके पास पड़ा हुआ है, मेरे दो मामले व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के आप के पास पड़े हुए हैं, उस के लिए आप ने इजाजत नहीं दी। आप के ऊपर इतना इनका रोब क्यों चलता है ? क्या बात है इसके पीछे ? यह हमेशा रोब जमाने की कोशिश करते हैं।

Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur): He is insulting the Chair.

Shri Sheo Narain (Bausi): He cannot say so in this House.

Shri P. Venkatasubbaiah (Andoni): Please have that remark expunged.

अध्यक्ष महोदय : अब इस वक्त. . . . (व्यवधान) . . . . अब मुझे अगर नहीं बोलने देंगे तो मुझे जरूर कुछ न कुछ करना पड़ेगा (व्यवधान)

श्री राम सेवक यादव : आरोप के खिलाफ़ कोई तथ्य नहीं दिये केवल यह कह देना कि यह असत्य है, इसके कोई मानी नहीं हैं।

Shri Priya Gupta: A Committee may be appointed to go into this.

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे बोलने नहीं दे तो. . . . . (व्यवधान)

Shri Surendranath Dwivedy: I hope Leader of the House will agree. Let us have a Committee.

Mr. Speaker: Before I appointed a Committee, I have to say this.

श्री मधु लिमये : परसनल एक्सप्लेनेशन की इजाजत क्यों दी।

अध्यक्ष महोदय : देनी चाहिये थी इसलिये मैं ने दी ।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : इन को क्यों नहीं दी आज तक ?

अध्यक्ष महोदय : और मैं इससे अधिक बहस नहीं कर सकता । जो मैंने किया है परसनल एक्सप्लेनेशन मुनासिब था, इसलिये मैंने उसके लिये इजाजत दी ।

श्री बागड़ी : आपने मेरे दल के सदस्य मधु लिमये के खिलाफ मंत्री ने चार्ज लगाया उसके लिए इजाजत नहीं दी......... (व्यवधान)

डा० राम मनोहर लोहिया : आप कमेटी बनाने के बारे में क्या कह रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जब आपने यह सब कहा तो मैं नहीं मौजूद था जब यह आरोप लगाए गए । आपने कहा कि मैंने दे दिया है सबूत तो अगर आपको और भी देना है तो वह मुझे दे दें फिर उन को देखकर मैं कमेटी को मकर्रर करना है तो करूंगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : इस तरह तो, अध्यक्ष महोदय, यह मामला खत्म हो जायगा, सिर्फ दो दिन रह गये हैं । आपके सामने सारे कागज सितम्बर में पहुंचे थे, आपके लोक सभा सचिवालय की तरफ़ से कागज आये, मन्त्रियों ने उनके जवाब दिये हैं । खुद सारे कागज़ों से साबित हो जाता है कि इस जहाज रानी कम्पनी ने लाखों का घुटाला किया है और इसमें पाटिल और स्वर्ण सिंह भी थे, यह आपके कागजो से साबित होता है ।

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब, अगर आप कहते हैं कि साबित हो जाता है, तो उसी पर किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता है, किसी और को भी देखना होगा कि जो आपका कहना है..

डा० राम मनोहर लोहिया : आप सुबह तक फैसला कर दीजिये, आज शाम तक फैसला कर दीजिये, सिर्फ दो दिन रह गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है । जो सबूत आपने और देने हों, उसको दे दें, मैं देख लेता हूं ।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, आरोप लगाया गया था, यह तथ्य का सवाल था, आप पहले कल की बहस को पढ़ने तब पाटिल साहब को इजाजत देते । सिर्फ यह कह देना कि यह असत्य है, काफ़ी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी तरफ़ नहीं देखते हैं, ऊपर को देखते हैं, मैं जवाब किसको दूं ।

श्री राम सेवक यादव : बहुत दिन देखा है, आपकी तरफ़ । (व्यवधान) आपकी तरफ़ देखा है, उसकी फोटो-स्टेट कापी है मेरे पास, यह आपके बारे में है.. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फोटो-स्टेट कापी से मैं डर नहीं गया हूं । (व्यवधान)

Shri S. M. Banerjee: Yesterday when the discussion was going on in this House certain charges were made by Dr. Lohia, and we also demanded that the entire matter should be referred to a committee of the CBI, because he did not mention only one Minister, he mentioned the Trimurti, i.e., Patil, Swaran Singh and Subramaniam. This personal explanation has been given under the rules, and it can be given by a member or by a Minister, and you are within your rights to permit the Minister, but on the basis of what? Something which he has read in the press. He has not the courage or the conviction to mention yesterday's debate in the House.

Shri S. K. Patil: Why should I mention?? I only mentioned what I read. (*Interruptions*).

Shri Shiv Narain: You think you are the master of the House.

श्री स० मो० बनर्जी : अरे भाई, तुम्हें पाटिल साहब टिकट दे देंगे । ..

His personal explanation should be based on the statement made here. Otherwise, if a personal explanation is allowed to be made in the House on

[श्री स० मो बनर्जी]

the various news items coming out in the country, then we should also be given the chance. Mr. Patil made wild allegations against the opposition everywhere regarding train accidents and so on. We never wanted to make personal explanations.

Shri S. K. Patil: That is outside the House. I will make them again a hundred times.

Shri S. M. Banerjee: You have yourself said that you will expunge certain portions in your Chamber.

Mr. Speaker: I have said I will see if they are objectionable. (*Interruptions*).

Shri S. M. Banerjee: I am not agitated like Mr. Patil.

Rule 380 says:

"If the Speaker is of opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may, in his discretion, order that such words be expunged from the proceedings of the House."

A portion of the proceedings was so expunged.

Shri Sheo Narain: The speaker is wiser than Mr. Banerjee.

Shri S. M. Banerjee: My point of order is this, that certain charges and counter-charges have been made here. So, your observation that you will expunge certain things in your Chamber has given the feeling that nothing will appear in the press. If something appears in the press tomorrow, Mr. Patil will move a privilege motion against the press.

Shri Sheo Narain: Why not?

Shri S. M. Banerjee: It is a question of a shipping company.

Mr. Speaker: Mr. Banerjee must realise that I have said that I will see if something more is required to be expunged, and if I have to expunge, I will bring it before the House, and not do it secretly. So, there is no point of order in that.

Shri S. M. Banerjee: You are holding the banner of democracy in this country. I am not against democracy, it is they.

Mr. Speaker: What else has he to say?

Shri S. M. Banerjee: We have a *chota* Hitler here in Mr. Patil.

Mr. Speaker: Order, order. That is not the point.

Shri S. M. Banerjee: In that case, what will happen is that nothing will come in the press. So, if this was his intention, he has succeeded.

Mr. Speaker: Whatever has to appear in the press will appear, because I have said that I will bring it before the House.

Shri Ranga (Chitoor): Tomorrow.

Mr. Speaker: Today.

Shri S. M. Banerjee: I have a photostat copy of a letter Mr. Jit Pal addressed to one D.B. Thapar that Rs. 50,000 has been given to Mr. Patil direct. I can lay it on the Table of the House.

Mr. Speaker: These photostat copies are being brought here, and another has been just flourished just at this moment. I will warn the hon. Members that unless they are sure of their authenticity . . .

Shri S. M. Banerjee: This was considered by the Privileges Committee.

Mr. Speaker: This House shall have to take note of that, and I think . . .

Shri S. M. Banerjee: Rs. 75,000 to Mr. Swaran Singh and Rs. 50,000 to Mr. Patil, and your name also unfortunately, appears there.

Mr. Speaker: I am not concerned with that. One man may have a photostat copy, he might write himself and have a photostat copy of that. Where is the guarantee of its authenticity? (*Interruptions.*) There cannot be any authenticity of a photostat copy. (*Interruptions*).

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha That document was produced before the Privileges Committee. It was not admitted, it was not admissible under the Evidence Act.

श्री राम सहाय पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, सदन प्रक्रिया धारा 358 के अन्तर्गत बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी माननीय सदस्य यदि किसी के प्रति आरोप, लांछन या अभियोग लगाता है, तो वह आपको पूर्व सूचना दे, ताकि जिस के सम्बन्ध में आरोप लगाये गये हैं, वह उसको इन्वेस्टीगेट कर के आपने एक्सप्लेनेशन को लेकर सदन के सम्मख उपथित हो।

फिर यह है कि यदि आप यह समझें कि यह सदन की मर्यादा या जनहित के विरुद्ध है तो आप उस कार्यवाही को रोक सकते हैं। आये दिन इस सदन में इस धारा का उल्लंघन हुआ है और कल भी जब प्वाइन्ट आफ आडर्ज किया गया तब उसको चेयरमैन ने एन्टरटेन नहीं किया। उस वक्त भी यही बात थी कि जब कोई आरोप पूर्व सूचवा के पहले लगाया जाय, ताकि जिसके सम्वन्ध में वह लगाया गया है, वह स्वयं उपस्थित नहीं है, तो यह सामान्य सौजन्य, सामान्य मर्यादा और जो लिखित निदश हैं, उन के विरुद्ध है, उनका उल्लंघन होता है।

अब, श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आये दिन होता क्या है? एक विचित्र अवस्था इस सदन के माध्यम से इस देश में उपस्थित की जाती है, बण्डल के बण्डल आरोपों को खोला जाता है और कहा जाता है कि रुपया खा गये, उसके बाद जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है, स्वाभाविक है कि वह यह कहे कि यह भ्रम है, अत्यन्त गलत है, नितान्त गलत है उसके बाद मुझे ताज्जुब हुआ कि माननीय द्विवेदी जी कहते हैं कि एक कमेटी एप्वाइन्ट की जाय। मैं उनके विरुद्ध कोई आरोप लगाऊं और कहूं.....

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी कमेटी एप्वाइन्ट हो।

श्री रामसहाय पाण्डेय : यह आप कहते हैं, लेकिन हम मर्यादा का पालन करते हैं। हम आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन हम इस बात की मर्यादा चाहते हैं कि यदि आरोप लगाया जाय तो हम को अवसर दिया जाय कि हम कहें कि यह सही है या गलत है। श्री पाटिल ने कहा है कि जो आरोप लगाये गए हैं, वे गलत हैं, अब आप कहते हैं कि कमेटी बिठाई जाये। उलटा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति पैदा हो गयी है।.... (व्यवधान) मेरा एक निवेदन है कि कल एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया गया था। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि यदि आप समझते हैं कि जितने आरोप हैं वे जनहित के विरुद्ध हैं, सदन की मर्यादा के विरुद्ध हैं तो उन को रिटास्पेक्टिव एफ्फट से कार्रवाई से एक्सपंज किया जाये।

श्री मौर्य : और जो मंत्री लोग शराब पीते हैं जहां पर प्रोहिबिशन है.....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री मधु लिमये : इस ए० पी० जे० शिपिंग कम्पनी के द्वारा जो चावल आयात किया गया था, उस के सम्बन्ध में दो तीन प्रश्न इस सत्र में पूछे गये थे।

अध्यक्ष महोदय : आप का प्वाइंट आफ आर्डर क्या है।

श्री मधु लिमये : प्वाइंट आफ आर्डर पर आ रहा हूं। उन को दस मिनिट हो गये बोलते हुए और मैं ने आधा वाक्य भी नहीं बोला कि आप मुझे टोकने लगे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर चावल का क्या सवाल है।

श्री मधु लिमये : उसी पर कह रहा हूं। एक भी फ़ालतू वाक्य मैं नहीं बोल रहा हूं। आप सारी चीजें सामने नहीं आने दे रहे हैं। इन प्रश्नों के जवाबों को ले कर यह आधे घंटे की बहस उठाई गई थी। तमाम प्रश्नों के सम्बन्ध में जो दस्तावेज डाक्टर साहब ने सदन पटल पर पिछले सत्र में रक्खा।

[श्री मधु लिमये]

था उस के बारे में सवाल था कि क्या उस की जांच पड़ताल की है, कोई कारंवाई की गई है, और दूसरा प्रश्न था कि जितना माल आया, चावल आया, उस में कितनी खोट आई। इन चीज़ों को ले कर आधे घंटे की चर्चा उठाई गई थी। आधे घंटे की बहस के बारे में नियाम है कि :

"Provided that the notice shall be accompanied by an explantory note stating the reasons for raising discussion on the matter in question."

जिन प्रश्नों की सफ़ाई नहीं हुई थी उस के बारे में नोट दिया गया। उस का आप ने पढ़ा और अब आप को सन्तोष हुआ कि उस में कई मुद्दे ऐसे हैं जिन की उसफ़ाई नहीं हुई है इसलिये आप ने उन को मौका दिया कि आधे घंटे की बहस चलायें। तथ्यों के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला गया। अब आप ने जब उनको व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करने का मौका दिया तब आप को नियम 357 के अनुसार कारंवाई करनी चाहिये थी। यह नियम क्या है।

"A member may with the permission of the Speaker make a personal explanation although there is no question before the House but in this case no debatable matter may be brought forward and no debate shall arise."

तो कल जो तथ्य यहां पर रक्खे गये थे, जिन तथ्यों पर निष्कर्ष तथा अनुमान आधारित थे, उन तथ्यों के बारे में एक शब्द भी श्री पाटिल ने नहीं कहा है। उसे भी व्यक्तिगत स्पष्टीकरण में आना चाहिये था। उन्होंने कहा है कि डाक्टर साहब झूठ बोले हैं। पहले तो मैं यह कहूंगा कि फ़ल्स या झूठ यह शब्द कई दफ़े आप ने असन्सदीय करार दिया है। इस लिये उस को पाटिल साहब के बयान से आप निकाल दें।

21 नवम्बर को जब मेरे प्रश्न का जवाब श्री मनुभाई शाह और श्री शचीन्द्र चौधरी की ओर से श्री ललित नायायण मिश्र ने दिया था तब श्री राम सहाय पान्डेय ने आज जो सवाल उठाया वही उस वक्त भी उठाया था। आप ने उस वक्त कहा था कि कमेटियों की नियुक्ति इन आरोपों की जांच पड़ताल करने के लिये की जायेगी। मैं देख लूगा। मैंने दो तीन मर्तबे आप को लिखा। मैंने उन की चुनौती भी स्वीकार की है। श्री मनुभाई शाह और शचीन्द्र चौधरी का मामला कमेटियों के सामने जाये। आज फिर मैं मांग करूंगा कि श्री पाटिल का मामला भी कमेटी के सामने जाये। तीनों कमेटियां बैठ और मैं तैयार हूं उन की चुनौती स्वीकार करने के लिये। अब वह भाग न जायं चूहे की तरह से। इतना ही मुझे निवेदत करना है।

Shri G. N. Dixit (Etawah): Sir, I would draw your kind attention to rule No. 352: a member while speaking shall not make a personal charge against a member. A minister is also a member, although he has become a minister. 353 has already been read out; defamatory statement is not permissible in the House. I would draw your attention to the rule which was just now read out. In case a defamatory statement has been made, then you have got the power to expunge the defamatory statements that had been made. The rules are mandatory and one has to read all these three rules together. Then, one cannot but come to the conclusion that in this House no charges of a personal nature shall be made by one member against another member. If a member wants to make a statement outside the House, it is not within the jurisdiction of the House. So far as this House is concerned, it has been laid down by the rules that personal charges of a defamatory nature are not permissible. My submission is this. If any action has to be taken against any member, it is to be taken under these rules. There are only two provisions under which a member can agitate against another member. One is about the

minister. In a vote of no-confidence against a minister this point may be raised. A charge can be raised against a member by raising the issue of privilege. Apart from these two, there is no provision in these rules about the appointment of a committee. Because a personal charge of a defamatory character has been made, they say a committee may be instituted. There is no such power given, with due respect, to you or to this House to institute such a committee.

So far as the photostat copies are concerned, I may say this. I have my clients and some of them are forgerers also. If you so desire, charges and allegations can be made against every Member who is sitting there and they can give you photostat copies. Those charges may be correct or may be incorrect or false; but the point is that photostat copies can be put before the House against every hon. Member on that side. So far as these rules go, they do not permit all this dirty linen to be washed here; that is to be washed outside the House. When they go into the election battle, they can wash this dirty linen but not waste the valuable time of this House in this way.... (*Interruptions.*)

Shri Umanath (Pudukkottai): He says that some of them are forgerers and pointed towards this side.

Mr. Speaker: He has not said that the Members from the Opposition or every Member on this side is a forgerer. Even if he has said, talking generally, that some of the Members may be forgerers, that too is objectionable.

Shri G. N. Dixit: I never said that; I said that some of my clients were forgerers and they can produce such documents against any one of those Members on that side.... (*Interruptions*).

Mr. Speaker: If any one Member has been called as a forgerer, that would not go on record . . . (*Interruptions*).

Shri Shinkre (Marmagoa): Are you going to close this dirty business or not?

Shri Umanath: It is unparliamentary; he calls the business as dirty business. (*Interruption*).

Mr. Speaker: Order, order.

Shri Hem Barua (Gauhati): Sir, yesterday, certain allegations were made by an hon. Member against an hon. Minister. The hon. Minister has made a statement and therein he has said that the allegations are false and unfounded. Then, you in your wisdom—I must congratulate you for that because you have done a very rare thing—have accepted the suggestion made by Shri Dwivedy that there should be an enquiry into the allegation—

Mr. Speaker: I have not said that. (*Interruption*). Order, order. What I had said is on record. I have said, "Let all the records be sent to me and I will see if a committee is called for to find out the truth." That is what I have said.

Shri Hem Barua: Yes. That is what you have said. I just wanted to say that you have done a rare thing by saying that the papers should be placed at your disposal and you will hold an enquiry into it. You have set a very healthy precedent and in future I hope and trust that this precedent too would govern the future disposal of the cases.

But, at the same time, you also said this—if my memory is correct—that after you hold an enquiry personally

[Shri Hem Barua]

into this allegation, if the things are found correct or you are satisfied, then you are prepared to appoint a Committee and all that. I think you have said like that.

Now, I want to move this motion—after this ruling you have given, a very healthy precedent that you have set—that there should be an end to this discussion, because, things must not be allowed to go on like this. Therefore, I move a motion for closure. Before that, I must tell Shri Dixit, who has raised the point that most Members or some of them are involved in such a thing, one thing. I challenge the whole House: if they can cite a single instance against anyone of us, I will be the first man to resign my membership of this House.

13.23 hrs.

RE. ARREST OF MEMBERS

(Dr. Ram Manohar Lohia)

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : डा० लोहिया की गिरफ्तारी के बारे में आप कब निवेदन करेंगे । इसके बाद करेंगे क्या ?

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : क्या फरमाया है, अध्यक्ष महोदय, आपने इसके बारे म ?

दो तीन बार इसके बारे में मैंने आपको कहा भी है और आपको खत भी लिखा है । आपने वचन दिया था कि आप चव्हाण साहब से बातचीत करके दफा 107 के बारे में बयान देंगे । लोक सभा जब बैठी होती है तो अपोजीशन को खत्म करने के लिये ऐसी धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है .

अध्यक्ष महोदय : अभी चाहते हैं तो मैं अभी इसके बारे में कहे देता हूं । मैंने चव्हाण साहब से और ला मिनिस्टर साहब से, दोनों से इस पर बात की है । दोनों पर मैंने इस बात पर जोर दिया है कि जो यह शिकायत है कि 107 दफा का नाजायज इस्तेमाल होता है और डर है इसके इस्तेमाल होने का खसूसन तब जब कि पार्लियामेंट बैठ रही हो, तो इस डर को किस तरह से दूर किया जाए ।

श्री त्यागी (देहरादून) : आइन्दा नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : डा० साहब ने मुझे चिट्ठी लिखी थी । दो चीजों का उन्होंने मुतालिबा किया था । एक तो यह था कि 107 में पार्लियामेंट के मेम्बर गिरफ्तार न किये जायें । दूसरी यह थी कि जब पार्लियामेंट बैठी हुई हो उस वक्त किसी मेम्बर को गिरफ्तार न किया जाए

डा० राम मनोहर लोहिया : एक बड़ी बात और थी जो मैंने कही थी और मेरे खत में भी है । वह यह है कि दफा 107 एक नालायक दफा है । उसका गैर-कानूनी इस्तेमाल हुआ है । हमारे ऊपर ही हुआ है ऐसी बात नहीं है (इंटरप्शंज) इनको चुप करवाइये, अध्यक्ष महोदय । दफा 107 जाब्ता फौजदारी की दफा का जो पांचवां अध्याय है और जो जुर्म के निरोध के लिए है, वह हमारे संविधान के बिल्कुल खिलाफ है । आप अक्सर कह चुके हैं कि इस तरह की दफाओं के बारे में अदालतों में जाकर फैसला लिया करो । अदालत में मैं गया हूं । मैंने वहां मुख्य न्यायाधीश से कहा कि यह दफा 107 न सिर्फ मेरे खिलाफ बल्कि हिन्दुस्तान के मामूली गरीब आदमी के खिलाफ भी इस तरह से इस्तेमाल होती है कि आधे से ज्यादा जिनको गिरफ्तार किया जाता है, वे गिरफ्तारी के वक्त साहूकार होते हैं और सरकार उनको गिरफ्तार करके फिर आदत डलवा देती है जुर्म वगैरह करने की । यह तो दफा 107 के बारे में हुआ । इसी का नाजायज इस्तेमाल नहीं होता है